MR. DEPUTY SPEAKER : One minute. Now, instead of Calling Attention we are going to take up discussion under Rule 194 at about 3 P.M. All the Hon. Members whose names are in the Calling Attention will also get chance. In addition to that, there is general discussion. I am only announcing it in the House.

RAO BIRENDRA SINGH : Sir, this is a very important measure which is long overdue. I wish we could have brought this Bill earlier. Millions of farmers are cultivating oilseeds on very inferior lands. This is a crop highly susceptible to diseases and posts and through this Board which we want to set up, we want to take up integrated development of oilseeds as also research and processing and we want to tackle this problem in many ways. we want to provide financial assistance also for development of oilseeds and also vegetable oil industry. We are at present importing huge quantities of edible oil. We can save the foreign exchange to a great extent if we can increase substantially our production of oilseeds within the country. It is from that point of view that we want to set up this Board for development of oilseeds and vegetable oils. We also want to levy a cess for the purpose of collecting funds. I hope, the House will give us support from all sections so that this work can be taken in hand at the earliest.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. R.L.P. Verma, are you moving your amendment?

SHRI R.L.P. Verma (Kodarma) : Sir, I beg to move :

> "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 14th November, 1983." (6)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You may move the other motion also. We will take them together.

———

12-51 hrs.

MOTION RE : SUSPENSION OF PROVISO TO RULE 66

RAO BIRENDRA SINGH : I beg to move the following motion :

> "That this House do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha in its application to the motions for taking into consideration and passing of the Vegetable Oils Cess Bill, 1983, inasmuch as it is dependent upon the National Oilseeds and Vegetable Oil Development Board Bill, 1983."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha in its application to the motions for taking into consideration and passing of the Vegetable Oil Cess Bill, 1983, inasmuch as it is dependent upon the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Bill, 1983."

The motion was adopted.

———

12-52 hrs.

VEGETABLE OILS CESS BILL

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : I beg to move* :

> "That the Bill to provide for the levy and collection of a Cess on Vegetable oils for the development of the oilseeds industry and the vegetable oils industry and for matters connected therewith, be taken into consideration."

*Moved with the recommendation of the President.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on vegetable oils for the development of the oilseeds industry and the vegetable oils industry and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Now the House will take up both the Bills together.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड विधेयक तथा वनस्पति तेल उपस्कर विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सेस के लगाने तथा बोर्ड के निर्माण इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। अपना देश अभी तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। हमारे देश को 700 करोड़ से 800 करोड़ रुपये तक का तिलहन आयात करना पड़ता है तथा इस पर हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इतना बड़ा भारतवर्ष, जिसमें 75 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर आधारित हैं उसके उपरान्त भी हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं—यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है। हम कृषि के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं लेकिन तिलहन के लिये हम विदेशी मुद्रा खर्च करके बाहर से मंगाते हैं—यह एक शोचनीय प्रश्न है। बाहर से जो तेल आता है वह भी यहां की जनता के स्वास्थ्य के लिए तथा यहां के किसानों के टेस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि हम इस क्षेत्र में प्रगति करें। इस दृष्टि से आप जिस बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। इस बोर्ड के अध्यक्ष हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कृषि मन्त्री हैं। जो इस बोर्ड में मेम्बर्स हैं उनके बारे में मैंने अध्ययन किया है। इस बोर्ड में सम्बन्धित डिपार्टमेंट के लोगों के साथ-साथ पार्लियामेंट के सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। पार्लियामेंट के इस बोर्ड में तीन सदस्य होंगे जिनमें से दो लोक सभा के सदस्य होंगे और एक राज्य सभा का सदस्य होगा। इस बोर्ड में अधिकांश अधिकारी ही रखे गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड में पार्लियामेंट के 6 सदस्य होने चाहिएं जिनमें से चार लोक सभा के सदस्य हों और दो राज्य सभा के सदस्य हों जिससे कि पार्लियामेंट के मेम्बरों की राय का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। यह बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि इस बोर्ड के गठन के बाद अनुसंधान कार्य में अधिक गति लाई जाए। अभी तक हम इस बारे में अनुसंधान और रिसर्च के कार्य में गति नहीं लाए हैं। इस कारण से इसके उत्पादन में हमारी प्रगति धीमी है।

राजस्थान में बहुत से रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जिनमें कि तिलहन पैदा हो सकता है और पैदा होता है। राजस्थान में जैसलमेर, बिकानेर और नागौर में बहुत ही तिलहन पैदा होता है। इसके लिए सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार की क्षमता में सहयोग देना नहीं है और उधर केन्द्रीय सरकार से भी पूरी तरह से मदद नहीं मिलती है। वहां समय पर बीज उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण से इस खेती का जितना विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिलहन उन्हीं क्षेत्रों में पैदा नहीं होता है जहां कि भूमि उपजाऊ है; बल्कि यह ऐसे क्षेत्रों में भी पैदा होता है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र हैं और जहां कि भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक मतीरे की उपज होती है। उससे भी तेल पैदा

होता है। वहां एक तुंबा की उपज होती है, उससे भी तेल निकलता है। वह तेल साबुन और दूसरी चीजों के काम में आता है। मुझे आशा है कि इनकी खेती को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी और भारत सरकार राजस्थान सरकार को इसके लिए पूरा सहयोग देगी। यह जो बोर्ड का गठन हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि यह बोर्ड इस क्षेत्र में अधिक से अधिक दिलचस्पी लेकर अनुसंधान कार्यों को करेगा और ऐसे क्षेत्रों के विकास की व्यवस्था करेगा जिनमें कि ये तिलहन उत्पन्न होते हैं।

इन तिलहनों पर आधारित जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आनन्द गया था। वहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज का बहुत कार्य हो रहा है। इन इंडस्ट्रीज के बेनिफिट के लिए बहुत ही सहयोग देने की आवश्यकता है क्योंकि इनके बिना हम प्रगति नहीं कर सकते हैं।

अब तक इन पर एक रुपया प्रति क्विंटल सेस लिया जाता रहा है। अब एकदम पांच रुपये प्रति क्विंटल कर दिये गये हैं। यह उचित नहीं है। पांच रुपये प्रति क्विंटल सेस का जो कानून में प्रावधान किया गया है यह बहुत अधिक है। गवर्नमेंट को यह कोशिश करनी चाहिए कि इस पर सेस दो रुपये से अधिक नहीं हो। अगर पाँच रुपये सेस लगा दिया गया तो तिलहनों के भाव बहुत बढ़ जायेंगे और उससे मंहगाई और बढ़ेगी। आप जानते हैं कि घी आजकल कितना महंगा है। गरीब आदमी तो क्या, मध्यम श्रेणी के लोग भी उसका प्रयोग दवाई के तौर पर करते हैं। मैं चाहता हूं कि तिलहनों की पैदावार बढ़ा कर हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएं। इस कार्य को युद्धस्तर पर लिया

13.00 hrs.

जाना चाहिए। जिस देश में 75 प्रतिशत किसान हों वहां पर इस पर 6-7 सौ करोड़ का तिलहन बाहर से मंगाना पड़े, यह चुनौती की बात है। इस चुनौती का हमें सामना करना चाहिए। इससे संबंधित उद्योगों को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। सेस दो रुपये प्रति क्विंटल रखना चाहिए ताकि इनके भाव न बढ़ें। इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने के लिए समयबद्ध योजनाएं बनाई जानी चाहिएं। इस वर्ष वर्षा भी अच्छी हुई है। इसका हमें पूरी तरह से लाभ उठाकर पैदावार बढ़ानी चाहिए।

इससे संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। को-आपरेटिव सेक्टर को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन में सोयाबीन के आधार पर एक उद्योग स्थापित किया गया है। कोटा, राजस्थान में भी इसी तरह का कोआपरेटिव सेक्टर में उद्योग लगाने का प्रस्ताव है। इसको स्वीकृत किया जाना चाहिए। हमें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि पैदावार बढ़े और देश आत्म निर्भर बने।

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I rise to accord general support to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can continue after lunch.

13.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till five minutes past Fourteen of the Clock.

———